By Speed Post

# A-12018/08/2014-NTH.

Government of India

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Consumer Affairs

\*\*\*\*\*

Gallery No.12/2, Jamnagar House Shahjahan Road, New Delhi – 110 011 Dated, the 11<sup>th</sup> January, 2017

To

The Director General National Test House, Sector-V, C.P. Block, Salt Lake, Kolkata-700091.

Subject:- Seventh Central Pay Commission's recommendations – revision of pay scales – Amendment of Recruitment Rules for the post of Private Secretary in National Test House.

Sir,

I am directed to refer to Department of Personnel & Training O.M. No.AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 9<sup>th</sup> August, 2016, on the above mentioned subject and to forward herewith copy of the Revised Recruitment Rules 2016 for the post of Private Secretary in National Test House duly notified in the Gazette of India, Part II, Section3, Sub Section(i) vide GSR No.239 dated 10.12.2016 for record and further necessary action. These Recruitment Rules are also available on the website of **egazette.nic.in** in the name of this Ministry.

Yours faithfully,

Deputy Director (NTH)
Tel No.23073612

E-mail: d.sonker@nic.in

# Copy to:

- 1. Director/ scientist-In charge, All regional Branches, National Test House,
- 2. Department of Personnel and Training, Estt.(RR)Division, North Block, New Delhi
- 3. Secretary, Union Public service Commission [Kind attention: Shri B.S.Heet, Under Secretary(RR).]
- 4. L-1,Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi. (OL) & (English).
- 5. The Parliament Library, Parliament Annexe, Parliament Street, New Delhi(Two copies)
- 6. Guard files.



# संख्या ए-12018/08/2014-एन.टी.एच. भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग

गैलरी संख्या 12/2, जामनगर हाऊस नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 जनवरी, 2017

सेवा में,

महा निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, सेक्टर- V, सी0 पी0 ब्लॉक, साल्ट लेक, कोलकाता-700 091

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें – वेतनमानों में संशोधन – राष्ट्रीय परीक्षण शाला में निजी सचिव के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 अगस्त, 2016 के का0ज्ञा0 संख्या एबी 14017/13/2016-स्थापना(आर.आर.) का सन्दर्भ देने और सा0का0िन0 सं0 239 दिनांक 10.12.2016 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचित किए गए, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में निजी सचिव के पद हेतु संशोधित भर्ती नियम, 2016 की एक प्रति अभिलेख और भावी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का निदेश हुआ है। ये भर्ती नियम egazette.nic.in की वेबसाईट पर भी इस मंत्रालय के नाम से उपलब्ध हैं।

(डी0-के0 सनिकर) उप निदेशक (एन0टी0एच0)

दुरभाष: 23073612

ई-मेल: d-sonker@nic.in

प्रतिः

- 1. राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी क्षेत्रीय शाखाओं के निदेशक/वैज्ञानिक-प्रभारी।
- 2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना (आर.आर.)प्रभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग [ध्यानाकर्षण: श्री बी.एस. हीट, अवर सचिव (आर.आर.)]
- 4. एल-1, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (राजभाषा) एवं (अंग्रेजी)।
- 5. संसद भवन पुस्तकालय, संसदीय सौंध, संसद मार्ग, नई दिल्ली (दो प्रतियां)।
- 6. गार्ड फाईल



प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2016, शनिवार/अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1938 No. 46] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2016, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1938

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> > भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्तं मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

सा.का.नि: 235.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, [महाप्रबंधक (वाणिज्य) शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने], भर्ती नियमावली 1993 के अधिक्रमण में इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, जहां तक उनका संबंध महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद से है, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने के महाप्रबंधक (वाणिज्य) के पद पर भर्ती की पद्धित को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1)** इन नियमों को कार्यालय, मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, महाप्रबंधक (वाणिज्य) वर्ग "क" भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  - 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगें।
  - 3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा योग्यता आदि.- इस पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।
  - 4. अयोग्यता.— कोई व्यक्ति
  - (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो अथवा

5470 GI/2016

(1307)

### नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 239.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, निजी सचिव, भर्ती नियम, 2015 को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षणशाला, निजी सचिव भर्ती नियम, 2016 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे- मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न पे- मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरईता: वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।
  - (ख) जिसने, अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे- मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सचिव	01* (2016) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' – राजपत्रित, अनुसचिवीय	पे- मैट्रिक्स में स्तर 7, रुपये 44900-142400	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने
			पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में
दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या	संरचना।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।		किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति	संघ लोक सेवा आयोग के साथ
ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-। जिन्होंने पे- मैट्रिक्स	के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित	परामर्श आवश्यक नहीं है।
स्तर 6, रुपये 35400-112400 में नियमित	से मिलकर बनेगी हैं:	
आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष	1. निदेशक ग्रेड 2 या वरिष्ठतम वैज्ञानिक	
की सेवा की हो।	'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष	
टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने	2. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण	
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर	शाला : सदस्य	
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां	3. अवर सचिव/उप निदेशक, उपभोक्ता	
उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार		
किया जाएगा परंतु यह तब जब उनकी अपेक्षित	मामले विभाग : सदस्य	
अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा		-
के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो		
और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित		
जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी		*
कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में	1	
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि		
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा		
की संगणना करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी		
द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख		
से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की	*	
सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन	Y .	
संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित	**	
आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की		
सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी		
वेतन मैट्रिक्स के अनुवर्ती स्तर में की गई सेवा		
समझा जाएगा।		
प्रतिनियुक्तिः		
केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे		× .
आशुलिपिक:-	9	
(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारित		
किए हुए है; या	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(ii) जिन्होंने पे- मैट्रिक्स स्तर 6, रुपये 35400-		
112400 या समकक्ष में मूल संवर्ग अथवा		
विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति वे		*
पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो।		
1134 3 11 3 11 3 3 3 11 31 611		

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुयक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का पे- मैट्रिक्स सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) तक विस्तारित होगा जिसके लिए पे मैट्रिक्स स्तर विना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी पे- मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा.सं. ए-12018/08/2014-एन.टी.एच.]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

New Delhi, the 7th December, 2016

G.S.R. 239.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Private Secretary Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the National Test House, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Test House, Private Secretary Recruitment Rules, 2016.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.-The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc. .- The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

#### 4. Disqualifications.- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Private Secretary	01* (2016) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Level 7 in the pay matrix, Rupees 44900-142400	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or	If Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in
deputation/absorption, grades from which	what is its composition	which Union Public
promotion or deputation/ absorption to be		Service Commission
made		is to be consulted in
		making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'B' Departmental Promotion	Consultation with
Stenographer Grade I in the level 6 in the	Committee(for considering promotion)	Union Public Service
pay matrix, Rupees 35400-112400 with five	consisting of :-	Commission is not
years' service in the grade rendered after	Director Grade II or Senior most Scientist	necessary
appointment thereto on a regular basis.	'D', National Test House - Chairman	
Note 1: Where juniors who have completed	2 Administrative Officer, National Test	-
their qualifying or eligibility service are being	House – Member	
considered for promotion, their seniors would	3. Under Secretary/Deputy Director,	
also be considered provided they are not	Department of Consumer Affairs - Member	
short of the requisite qualifying or eligibility		5
service by more than half of such qualifying		· ·
or eligibility service or two years whichever is		
less, and have successfully completed their		
probation period for promotion to the next		
higher grade along with their juniors who		
have already completed such qualifying or		
eligibility service.		

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation:

Stenographers under the Central Government:

- (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 6 in the pay matrix, Rupees 35400-112400 or equivalent in the parent cadre or department.

Note 1: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. A-12018/08/2014- NTH]
D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)